प्रेस विज्ञप्ति
03.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सुधांशु द्विवेदी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 02.06.2025 को सुधांशु द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। उन्हें 02.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 09.06.2025 (7 दिन) तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी।

ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा सुधांशु द्विवेदी और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत निवेशकों से 96.68 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो मामले में अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी की जांच में पता चला कि सुधांशु द्विवेदी ने बेईमानी से निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके कमोडिटी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, सुधांशु ने शुरुआत में अनाज/वस्तुओं की आपूर्ति की और विश्वास हासिल किया। हालांकि, बाद में उन्होंने कमोडिटी की आपूर्ति बंद कर दी और निवेशकों के पैसे हड़प लिए। जांच में पता चला कि निवेशक से धन प्राप्त करने के बाद, सुधांशु द्विवेदी ने धन को अपनी संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया और धन का दुरुपयोग किया। धन को उनके परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया, जिससे पीओसी को बेदाग दिखाने का दिखावा किया गया।

इससे पहले, ईडी ने 27.05.2025 को इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न चल संपत्तियों के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त/फ्रीज किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****